न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 19/2015

1 नागरमल (मृतक)
1/1 गोकुल पुत्र नागरमल
1/2 शीशराम पुत्र नागरमल
1/3 महेन्द्र पुत्र नागरमल जाति अहिर निवासी ढाणी निराणका की तन छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
1/4 केसर पुत्री नागरमल पत्नी कैलाश
1/5 सावित्री पुत्री नागरमल पत्नी रामवतार
1/6 कमला पुत्री नागरमल पत्नी झाबर जाति गुर्जर निवासी ढाणी पाकाकोण वाली पोस्ट अगवाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/7 सुरतब पुत्री नागरमल पत्नी गिरधारी जाति गुर्जर निवासी हुरड़ा की ढाणी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 फताराम पुत्र कजोड़मल
3 झाबरमल पुत्र कजोड़मल
4 छोटूराम पुत्र कजोड़मल जाति अहिर निवासी ढाणी निराणका की तन छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरसा (मृतक)
1/1 मोहनी पत्नी हरसा जात अहिर निवासी ढाणी निराणका की तन छापोली तहसील उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

1/2 राकेश पुत्र हरसा

1/3 सरोज पुत्री हरसा जाति अहीर निवासी ढाणी निराणका की तन छापोली तहसील उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनू।

2 हरीया पुत्र लिछमण

3 भंवरी पत्नी फुला

4 लीलाधर पुत्र फुला

5 विक्रम पुत्र फुला

6 रामकरण पुत्र सांवत

7 मामराज पुत्र सांवत

8 शिशपाल पुत्र सांवत जाति अहिर निवासी ढाणी निराणका की तन छापोली तहसील उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनू।

9 सरदारा (मृतक)

9/1 गीता पत्नी सरदारा

9/2 किरण पुत्री सरदारा उम्र 12 साल नाबालिग

9/3 पिन्टु पुत्र सरदारा उम्र 11 साल नाबालिग जाति अहिर निवासी ढाणी निराणका की तन छापोली तहसील उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनू नाबालिग जरिये वलिया कुदरती माता खुद रेस्पोडेन्ट संख्या 9/1

10 नारायणी पत्नी उंकार

11 प्रकाश पुत्री उंकार जाति अहिर निवासी ढाणी निराणका की तन छापोली तहसील उदयुपरवाटी जिला झुन्झुनू।

12 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील बखिलाफ आदेश व डिक्री बखिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा उनवानी नागरमल वगैरह बनाम हरसा वगै. दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 51/2014 बखिलाफ आदेश एवं डिक्री दिनांक 13.01.2015

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 51/2014 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण/अपीलान्टस 1 लगायत 4 की ओर से एक वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 द्वारा विचारण न्यायालय में पेश जवाब दावा जिसमें जमीन जैर बहस पर अपीलान्टस का ही कब्जा व काश्त होना माना है। इस तरफ गौर ना किया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस द्वारा पेश शहादत में दस्तावेजात पर प्रदर्श ना डालकर के मनमाने रूप से अपीलान्टस का दावा खारिज करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करते वक्त इस तरफ गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 11 जमीन जैर बहस पर अपीलान्टस का कब्जा व काश्त होना बताते है तो विचारण न्यायालय को अपीलान्टस का दावा खारिज ना करके डिक्री करना चाहिये था व यह शर्त लगा देनी चाहिये थी कि स्टाम्प ड्यूटी के पैसे जमा होने पर दावा हाजा में वर्णित जमीन का खातेदार काश्तकार अपीलान्टस को घोषित करना चाहिये था इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर ना कर अपीलान्टस के दावे को खारिज करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 की तामील बाबत कुछ भी दर्ज नहीं है। तामील हुई या नहीं व एक तरफा हुई या नहीं कुछ भी दर्ज नहीं है। कानूनन बिना प्रतिवादी नम्बर 12 की तामील के दावे निर्णय पारित करने में विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। ऐसी स्थित में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम छापोली के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 3260 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल ग्राम छापोली के अनुसार खसरा नम्बर 3260 रकबा 0.20 हैक्टेयर पुराने खसरा नम्बर 1504 से बनना साबित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2030 से 2033, 2026 से 2029, 2014 से 2016 एवं 2018 से 2022 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 1504 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैलाश चुन्दन)

खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वज सुण्डाराम आदि के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एवं उनके पूर्वजों का उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर नये 3260 तथा पुराने खसरा नम्बर 1504 का पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कही भी कब्जा काश्त साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर